न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 420 / 2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 496 / 214 की कुल 2.5800 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि में वादी का नाम राजुराम सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेजात राजेन्द्र है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। वादी मुताबिक दस्तावेजाता अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का सही व वास्तविक नाम राजेन्द्र है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजुराम दर्ज है जो की गलत है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड वादी का नाम राजुराम के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया ... राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 496/214 की कुल 2.5800 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वाद का नाम राजुराम दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का राजेन्द्र दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 496/214 की कुल 2.5800 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम राजुराम के स्थान पर राजेन्द्र** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजुराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम राजुराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 420 / 2024
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन सरदारपुरा तहसील रावतसर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 420 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 496 / 214 की कुल 2.5800 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम राजुराम के स्थान पर राजेन्द्र** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच राजुराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम राजुराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 17/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:36:58 IST
Reason: SelfAttested